न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश, सरवाड़, जिला–अजमेर

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं. 52/2021

धन्ना बनाम जगदीश वगैरह

07.08.2021

वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी बाबत नियुक्त किए जाने मौका कमिश्नर का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादवर्णित पट्टे की भूमि जो 24x20 फुट की है तथा उक्त वर्णित भूमि की सीमाएँ पट्टे में गलत दर्शित है। जबकि वास्तविक स्थिति में पट्टे की भूमि पर वादी का मकान निर्मित है जिसमें भी वादी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में मौके पर प्रतिवादीगण की आव है जिसके पश्चिम में उक्त स्थल है। इसलिए वादवर्णित जायदाद की सम्पूर्ण मौके की वास्तविक स्थिति श्रीमान् विकास अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करवाया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया।

जबकि दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की वादवर्णित भूमि पट्टेशुदा है जिसकी सीमाएं प्रार्थना पत्र में वर्णित की गई है। प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने के कथन गलत है। वादवर्णित प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के कब्जे में है जिससे अप्रार्थीगण का कोई लेनादेना नहीं है। अप्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में साक्ष्य संग्रहित करना चाहता है। प्रकरण में प्रार्थी ने अपना पट्टा पेश किया है तथा अप्रार्थीगण के पास वादवर्णित भूमि के बाबत कोई विधिक हक अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया एवं न्यायिक दृष्टांत **AIR** 2006 **Sikkim** 37 **Chewag Dorjee Lama vs Lerap Dorjee Bhutia & Ors**. पेश किए।

तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी द्वारा पेश किया गया पट्टा सं. 5 दिनांक 05.05.1991 पेश किया गया है वह गलत है जिसके गलत होने के बाबत उनके अन्य दो पट्टे ग्राम पंचायत ताजपुरा से जारी पट्टा सं. 34, 35 भी पेश किए गए है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह आक्षेप नहीं रहा है कि मौक पर परिवर्तन होने की कोई संभावना हो। मात्र केवल उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि पेश किया गया पट्टा गलत रूप से निष्पादित किया गया है। पट्टे की वास्तविक सीमाएं क्या है यह साक्ष्य का विषय है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य संग्रहित करने के लिए मौका कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। केवल मात्र साक्ष्य संग्रहण के उद्देश्य से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना

न्यायालय के विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी बाबत नियुक्त किए जाने मौका कमिश्नर न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

इसी आदेश के द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा वादपत्र में अभिवचित पट्टा सं. 5 जिसे दिनांक 05.05.1991 को जारी किया हुआ बताया है तत्पश्चात् उक्त वादी के द्वारा ही ग्राम पंचायत ताजपुरा से पट्टा सं. 34 व 35 अपने पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में एक ही भूमि के 3 पट्टे जारी करवाए गए है जो कि गलत बनवाए गए हैं, जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा मात्र पट्टा सं. 5 पेश किया गया है। जबकि स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा पट्टा सं. 34, 35 भी न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं जिनके अवलोकन से सीमाओं में भिन्नता है एवं पट्टे सचिव की मोहर नहीं है तथा प्रतिवादीगण की 20x25 फीट की आव की भूमि है जो पूर्वजों के समय से ही प्रतिवादीगण के कब्जे–आधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त आव की भूमि से पश्चिमी दिशा में रास्ता छोड़कर वादी का मकान है, जिसमें वादवर्णित पट्टा की भूमि समाहित है। ऐसी स्थिति में वादवर्णित जायदाद के संबंध में वस्तुस्थिति ग्राम पंचायत द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन वादी द्वारा जानबूझकर ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रकरण के वास्तविक व न्यायोचित निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रामपाली पंचायत समिति सरवाड़ को पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया गया एवं निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. 2011(2) **DNJ** (**Raj**.) 1140 **Rajendra Prasad Garg vs Ashok KumarPansari** & **ors**.
2. **Civil Appeal no**. 9519 **of** 2019 **Supreme Court of India Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanushali Order Dated** 09.07.2020

जबकि वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि सन् 1991 में जारी किए गए पट्टे को शून्य करवाया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण के द्वारा पेश नहीं किए गए तथा ग्राम पंचायत रामपाली के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, साथ ही उनका यह भी तर्क रहा है कि उन्हें ग्राम पंचायत से कोई भी उपचार प्राप्त नहीं करना है एवं किसी प्रकार का

कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, यह मात्र उपचार प्रतिवादीगण से मांगा गया है। अतः ग्राम पंचायत रामपाली को पक्षकार बनाए जाने का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का तर्क प्रस्तुत किया एवं न्यायिक दृष्टांत 2000 **DNJ** (**Raj**.) 158 **Haji Abdul Razzak vs Mohd**. **Ammed Bux** पेश किए।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा कि जो पट्टा सं. 5 दिनांक 05.05.1991 पेश किया गया है वह गलत है जिसके गलत होने के बाबत उनके अन्य दो पट्टे ग्राम पंचायत ताजपुरा से जारी पट्टा सं. 34, 35 भी पेश किए गए है। अतः ग्राम पंचायत का वाद में आवश्यक पक्षकार होने से ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, किंतु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा यह किसी भी प्रकार से कथन नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत की अनुपस्थिति में किस प्रकार से पूर्ण व प्रभावी निर्णय नहीं हो पाएगा। तर्कों के प्रयोजन से यह मान भी लिया जाए कि पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तो उसे साक्ष्य में बुलाकर स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतरिम/जवाब टी.आई. हेतु दिनांक 12.08.21 को पेश हो।